रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली की दुनिया

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान इन्दौर की मासिक समाचार पत्रिका

"मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरुष दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक सांझी षक्ति के द्वारा हिलाए न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाष में उड़ान असम्भव है।"

वर्ष –2 | अंक 25 | मार्च 2009 | मूल्यः 5 रू.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विषेषांक

महिलाओं और लड़कियों पर हिंसा बंद करें

महिलाओं और लड़कियों पर हिंसा

परिवारों, गाँवों, शहरों में हर रोज़ ऐसे समाचार मिलते है जिससे पता चलता है कि महिलाओं और लड़कियों पर हिंसा लगातार बढ़ रही है। यह हिंसा उनके तन, मन, धन और सामाजिक जीवन पर होती है। दुनिया में लड़ाई–झगड़े, मार–काट, दंगे–फसाद, लूट–पाट, वेश्यावृत्ति और बलात्कार की शिकार महिलाएं सभी तरह से होने वाले अन्याय को सहन करती हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन भर सभी की देखभाल भी वही करती है और सभी का दबाव उसी पर बना रहता है। जब छोटी बच्ची होती है तब अपने माता– पिता, भाई व पड़ोसी के और जब बड़ी होने के बाद शादी करके ससुराल जाती तो अपने पति, देवर, जेठ, सास–ससुर के बंधन में रहती है। स्वतंत्रता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसके साथ चाहे जो अत्याचार करता है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, शिक्षिका की भूमिका निभाते हुए महिला चुपचाप हर तरह की हिंसा को सहती है। हम सबको मिलकर लड़कियों और महिलाओं पर होने वाली हिंसा को बंद करना चाहिए। हिंसा क्या है इसे जानना और समझना जरूरी है तभी हम दूसरों को हिंसा के बारे में बता सकते हैं। 'बरली की दुनिया'' इस अंक में आपको लड़कियों और महिलाओं पर होने वाली हिंसा की जानकारी दे रही हैं। आप इसे पढ़कर दूसरों को भी बताएंगे जिससे लड़कियों और महिलाओं पर होने वाली हिंसा बंद कर सकेंगे।

"महिलाओं और लड़कियों पर हिंसा बंद करें" विषय पर गाना गाते हुए

महिलाओं और लड़कियों पर हिंसा के कारण

हिंसा बढ़ने का मुख्य कारण महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलना है। शिक्षा, खान–पान, रहन–सहन, शादी–ब्याह, घर–बार, खेती–बाड़ी, धन–दौलत में भेदभाव करते हैं। यह भेदभाव परिवार में ही किया जाता है जिसके कारण महिलाओं को सबसे ज्यादा परेषानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार महिला की बात तलाक तक पहुँच जाती है। इस तरह की परेशानी में बहुत हिम्मत करके अपनी हालत किसी को बताती है तो परिवार व समाज उसे घर की सुख–शांति, इज्जत का वास्ता देकर समझौते के लिए मजबूर कर देते है। अगर महिला अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसको डराते है, धमकाते है और उसे न तो परिवार में और न ही समाज में सही तरीके से रहने देते है। ईश्वर ने इंसान को भेदभाव करने का अधिकार नहीं दिया है और कानून भी इसकी इज़ाजत नहीं देता। बहाई लेखों के अनुसार ''मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरुष दूसरा महिला। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक सांझी शक्ति के द्वारा हिलाए न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाश में उड़ान असम्भव है।''

मानव जाति एक पक्षी की तरह है जिसके दो पंख हैं एक पुरूष और दूसरा महिला। जब तक दोनों पंख बराबर की ताकत से नहीं उड़ेगें तब तक मानव जाति अपनी विकास की ऊंची उड़ान नहीं भर सकती है। यह सोच कर देखिए अगर पक्षी का एक पंख काट दिया जाए तो क्या वह पक्षी आसमान में उड़ पाएगा? यह संभव नहीं है। ईश्वर की नजर में महिला और पुरूष दोनों बराबर है और बराबर रहेंगे।

महिला को बराबरी का दर्जा मिलना तो दूर उसे अभी भी बहुत से बंधनों में रखते हैं। महिला ही परिवार को चलाती है। बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना, बड़ा करना और पुरूषों की आज्ञा का पालन करना, बड़े–बूढ़ों की सेवा करना आदि। बहुत से पुरूष तो आज भी महिला को शराब पीकर गाली देते हैं, मारते हैं और जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं जैसे कि उसे खरीद कर लाए हैं या ऐसा लगता है कि महिला उनके काम में लेने की कोई चीज है। उसे जब चाहो उपयोग किया और जरूरत नहीं हैं तो उसे घर से निकाल दिया जाता है।

हिंसा के प्रकार

महिलाओं पर हिंसा कई तरह से होती हैं, जैंसे घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौन हिंसा, आर्थिक हिंसा और सामाजिक हिंसा।

घरेलू हिंसा

हमारे समाज में ज्यादातर लोग महिलाओं को परिवार, आस–पड़ोस या रिश्तेदारों द्वारा कई तरह से परेशान किया जाता है। घरेलू हिंसा का मतलब है उसके साथ गलत व्यवहार करना, अपमानित करना, गाली देना, ताने मारना, बार–बार एक ही बात के लिए कोसना जैसे किसी महिला के बच्चे नहीं होने पर सताना, उस पर जादू–टोना करना, उसे डाकन कहकर घर से निकाल देना, बलात्कार झूठा साबित करना, दहेज या लेनदेन की मांग के लिए मजबूर करना और महिला को जिंदा जला देना। इस तरह की हिंसा के कारण महिला न तो स्वस्थ रह सकती है, न सुरक्षित। जो महिला सुरक्षित और स्वस्थ नहीं वह पूरे समय दुःखी रहती है। महिला को शारीरिक या मानसिक दुःख देते जैसे गर्भावस्था के समय मारपीट करना, जबरदस्ती गर्भ में पलने वाले बच्चे का लिंग जाँच करवाने के लिए मजबूर करना, गर्भ में लड़की है पता होने पर गर्भ गिराना, जबरदस्ती बार–बार गर्भधारण के लिए परेशान करना जिसके कारण कमजोरी होना और बीमार होने पर इलाज नहीं करवाना जिससे महिला की मृत्यु भी हो जाती है।

षारीरिक हिंसा

हमारे देश में पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं पर शारीरिक हिंसा होती है। महिलाओं को पुरूषों की हर बात को मानना, सुनना और उसके बनाए नियमों के अनुसार ही रहना पड़ता हैं। महिलाओं को इस तरह से दबाया, डराया, धमकाया जाता है कि वह किसी को कुछ भी नहीं बता सकती हैं। उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते, किसी से बात नहीं करने देते है। अगर कोई महिला उसकी बातों को नहीं मानती तो पुरूष महिला पर इस तरह से हावी होने लगता है और वह शारीरिक अत्याचार करना शुरू कर देता है। महिला को मारना–पीटना, घूंसे मारना, जलाना, डराना, चाकू या लोहे के हथियार से मारना, गला दबाना, धक्का देना आदि शोषण करते है जिसके कारण महिला की मृत्यु भी हो सकती है।

मानसिक हिंसा

महिलाएं कई तरह से मानसिक हिंसा की शिकार होती हैं। अगर कोई महिला के पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है तब उसे ताने मारते हैं और यह कहकर सताया जाता है। "डायन हो पति को खा गई, अपने घर को जला दिया, तुम्हारे कारण ही उसकी मौत हुई, बसे बसाए घर को उजाड़ दिया, सभी लोग उसे गंदी–गंदी गालियां देते है।" जिससे मन को चोट पहुंचती है और मन पर बुरा असर होता है। आमतौर पर महिला को जैसे दहेज के लिए, बच्चे न होना, बार–बार लड़कियां पैदा होने आदि से परेशान किया जाता है। महिला को ताने देकर नीचा दिखाना, हमेशा उसकी बुराई करना, बार–बार एक ही बात को दोहराई जाती है और उसे डराया–धमकाया जाता है जिससे अपना आत्म विश्वास खो देती है। ऐसे समय में महिला बहुत ज्यादा डर जाती हैं और अपने आपको कमजोर समझती हैं। खुद कोई निर्णय नहीं ले पाती। महिला परेशान होकर आत्महत्या भी कर लेती है।

यौन हिंसा

यौन हिंसा महिलाओं और लड़कियों के साथ घर में, खेत में, जंगल में, काम की जगह पर कहीं भी होती है जिससे महिला सुरक्षित नहीं हैं। इसका उदाहरण हैं आलीराजपुर, धार और झाबुआ जिले की ज्यादातर महिलाएं और लड़कियाँ गुजरात में मजदूरी करने के लिए जाती हैं। वहाँ पर इन महिलाओं और लड़कियों के साथ खुले आम शोषण होता है। जिस जगह पर काम करती हैं, रहती है वहां उनकी बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं होती है क्योंकि ठेकेदार या कारीगार लड़कियों को काम के बहाने से अकेले झूठ बोलकर ले जाते है और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, डरा–धमका कर जबरदस्ती बलात्कार करते है।कई लड़कियों को शादी का झूठा वायदा करके उसे फंसा देते हैं और उसे छोड़कर भाग जाते हैं या कहीं ले जाकर बेच देते हैं। आलीराजपुर जिले के एक गाँव की बात है 3 साल पहले गुजरात में एक लड़की मजदूरी करने के लिए गई। लेकिन अब तक वह दोबारा वापस घर नहीं आई, उसका कोई पता नहीं कि वह जिंदा भी है या मर गई। एक और गाँव की घटना हैं जो मजदूरी करके लड़की वापस अपने घर आ गई उसके कुछ दिनों बाद गुजरात से एक कारीगर उनके घर आया, जिसको लड़की के माता–पिता, भाई सभी पहचानते थे और उस पर बहुत विश्वास करते थे। कारीगर ने लड़की के माता–पिता को कहा "मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ।" तब लड़की के माता–पिता उससे शादी करने के लिए राजी हो गए। इसी बात का फायदा उठाकर वह लड़की को अपने साथ घर ले जाने की बात कहीं

तब माता–पिता ने कहा ठीक है ले जाओ। वह अपने घर ले गया 10 से 15 दिन हो गए वापस नही आईं तब उसे ढूंढने के लिए गए। उसके घर जाकर देखा आसपास के लोंगो से पूछा तो पता चला कि वह उस लड़की को कहीं ओर ले गया था। सभी जगह ढूंढने पर भी आज तक उसका पता नहीं चला कि वह किस हाल में कैसी होगी, कहां होंगी कुछ पता नहीं। इस तरह की कई घटनाएं होती है। गाँव में आमतौर पर कई पुरूष महिला के साथ अपनी मनमानी कर, धौंस देकर, सामाजिक मान मर्यादा की दुहाई देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। इस तरह की हरकत करके पुरूष अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है क्योंकि अकेली महिला को देखकर डरा–धमका कर बलात्कार करता है, फिर उसका चालचलन खराब बताकर उसे ही परिवार के सामने और समाज में बदनाम करता है। तब महिला को समाज में परेशान किया जाता है। महिला मान, इज्जत, शर्म से भी अपमानित होती है।

आर्थिक हिंसा

आर्थिक हिंसा उसे कहते है जब महिला को घर–बार, खेतीबाड़ी, धन दौलत, सोना–चाँदी, लेन–देन आदि का कोई अधिकार नहीं होता है। महिला को शादी में मिले उपहार, उसके माता–पिता द्वारा दी रकम, सामान व पैसा छीन लेते हैं। महिला के पति व ससुराल वाले हर चींज पर अपना अधिकार समझते हैं। महिला को न ही बराबरी की मजदूरी मिलती है। महिला चाहे घर में हो या खेत में सबसे ज्यादा काम करती हैं लेकिन जब लेन–देन करना होता तब उसे कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि खेती–बाड़ी, जमीन जायदाद का मालिक तो आदमी ही होता है। अगर किसी महिला के पति की अचानक अपनी जमीन, जायदाद, घरबार, गहने आदि का बंटवारा किए बिना मृत्यु हो जाती है, इस समय महिला की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसा होने पर घर के पुरूष व रिश्तेदार उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मारते–पीटते हैं। कभी–कभी महिला को घर से भी निकाल देते हैं। परिवार में मुखिया के मरने के बाद सारी सम्पत्ति पर कब्जा कर लेते महिला बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती है। जब महिलाएं मजदूरी करके पैसे लाती हैं वह भी आदमी दारू पीने के लिए पैसे छीन लेते है। महिला की मेहनत के पैसे भी उसके हाथ में नहीं रहने देते है। इस तरह उस पर आर्थिक हिंसा होती है।

सामाजिक हिंसा

हमारे समाज में संत–महात्मा, नेता, शिक्षक, कवि, लेखक मानते है महिलाओं को श्रद्धा की देवी, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी कहते है। दूसरी तरफ हर तरह से महिला को सताया जाता है। हिंसा परिवार में ही नहीं समाज में भी होती है। आजकल तो लोग रिश्ते नाते भूलते जा रहे है। परिवार में ही किसी महिला की सुरक्षा नहीं होती क्योंकि पिता, भाई, चाचा, मामा, ससुर, जेठ, देवर या रिश्तेदार उसका शोषण करते है। कई लोग अपने आपको जितने मान–सम्मान वाला दिखाते है उतना ही नीच काम करते है कई गाँव के पटेल, सरपंच, ठाकुर और नेता जबरदस्ती महिलाओं का बलात्कार करना, घर या काम के जगह पर छेड़छाड़ करना या चलते–फिरते डराना–धमकाना तो आम बात हो गई है। महिलाओं को अकेले घर में रहना, घूमने–फिरने में सभी दूर असुरक्षा महसूस होने लगी हैं क्योंकि जब वह अपने परिवार में सुरक्षित नहीं होती तो पराए लोंगो पर विश्वास करने का तो सोच भी नहीं सकते है। झाबुआ, आलीराजपुर, धार और खरगोन जिले में लड़कियों और महिलाओं की हालत इतनी खराब हैं कि दिन दहाड़े खुले आम शोषण होता है जैसे हाट–बाजार, भगोरिया मेला, जातरा, दिवासा, नवाई, दीवाली, इन्दोल और बस में यात्रा करते समय महिला के शरीर को छूना, शरीर के अंगों को पकड़कर दबाना, जानबूझ कर धक्का देना, चिमटी लेना, मुँह पकड़कर दबाना, पांव से दबाना, बाल खींचना, कपड़ों को खींचना इस तरह जबरदस्ती छेड़छाड़ करते है।

हमारे देश में लगातार हिंसा के कारण सामंप्रदायिक दगों में दूसरों की महिलाओं का बलात्कार, उन्हें आग में फेंकना, सड़को, रास्ते पर नंगे घुमाना, नचवाना, जानवरों की तरह व्यवहार करना आदि होता है। किसी महिला को बिना कारण से परेशान किया जाता है। उससे घरबार, उसके बच्चे छीन लेते, घर से बेघर कर देते है और समाज से निकाल देते है। इस तरह की महिलाओं को न ही अपने माँ–बाप के घर में आसरा मिलता और न ही समाज उसे सहारा देता है।

लड़कियों के साथ हिंसा

लड़कियों के साथ हिंसा माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जन्म से पहले ही लिंग जाँच करवाकर गर्भ से कन्या भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है। लड़की पैदा होने पर परिवार वाले उसकी उतनी देखभाल नहीं करते जितनी लड़के की करते हैं। कहते हैं लड़की तो पराया धन है, उसे पढ़ा–लिखाकर क्या करना है? शादी के बाद तो उसे दूसरे घर जाना है, उसके खाने–पीने पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। माता–पिता बचपन से ही लड़की को अपने छोटे भाई–बहनों को संभालना, घर का सारा काम करना, बड़े–बूढ़ो की देखभाल करना, गाय भैस को चराने के लिए ग्वाल जाना, जंगल से लकड़ी लाना, मजदूरी करने जाना आदि काम करना पड़ता है। लड़कियों को न ही खेलने–कूदने, घूमने–फिरने, मौज–मस्ती करने, खाने–पीने और पढ़ने–लिखने का कोई अधिकार नहीं होता। लड़कियों के साथ हर बात में भेदभाव किया जाता है। आमतौर पर जैसे ही लड़की बड़ी होने लगती है मां–बाप, बड़े–बूढ़े, आस–पड़ोसी, रिश्तेदार उस पर दबाव डालते हैं। लड़कियों को बार–बार यह सुनना पड़ता है, "अब तू बड़ी हो गई हो, घर के कामकाज में मन लगा, घूमना–फिरना बंद कर, बड़े लोगों के जैसे रहा कर, लड़कों से बात मत कर, सिर पर पल्ला लिया कर आदि। इस तरह से लड़की के मन में बचपन से ही दूसरे दर्जे का प्राणी होने का एहसास करवाया जाता है। जिसके कारण खुद का लड़की होना एक बहुत बड़ी सजा लगती है। ऐसा करना एक सामाजिक अन्याय और अत्याचार है। यह

केवल एक घर, गांव या देश की ही बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कई सालों से महिलाएं इस तरह की तकलीफें सहती आ रही हैं। पीढ़ियों से समाज महिलाओं को दूसरा दर्जा देता आया है। हम हर घर, पड़ोस और गांव में देखते हैं कि लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है। एक ही मां–बाप से जन्मे बेटे और बेटी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। लड़के को अच्छी षिक्षा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना–पीना, अच्छी स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छे खिलौने, अच्छी नौकरी, बाहर घूमना–फिरना सब कुछ मिलता है। लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। हमें अपने परिवार और आस–पास की लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। महिलाओं के अधिकार और विशेषाधिकार पुरूषों के समान होने चाहिए। जो अधिकार, सुविधाएं, शिक्षा और अवसर पुरूषों को मिलते हैं, महिलाओं को भी वैसे ही मिलने चाहिए। लड़कियों के लिए शिक्षा लड़कों से भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि लड़की ही आगे चलकर माँ के रूप में बच्चे की पहली शिक्षिका होती है।

महिला–पुरूष मिलकर समानता लाएं

परिवार में महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया जाए तो बहुत हद तक घरेलू मारपीट की नौबत ही नहीं आएगी। केवल कानून से समाज नहीं बदला जा सकता। जब तक समाज के लोग अपने झूठ, कपट, अंधविश्वास व गलत व्यवहार को नहीं बदलते हैं तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। सभी लोगों का पढ़ा–लिखा होना जरूरी है ताकि वह सत्य की खोज करके सही और गलत का निर्णय खुद कर सके। जैसे अपने लिए योग्य वर माता–पिता की सहमति से चुनने का, शिक्षा का, संपत्ति का, निर्णय लेने का, आपस में शांति व परामर्श से काम करने का बराबर अधिकार होना चाहिए। महिला पुरूष मिलकर यह निर्णय करेंगे कि किसी भी प्रकार की हिंसा न खुद करेंगे न होने देंगे तभी हिंसा खत्म होगी और परिवार व समाज को अच्छा बना सकते है। इसके लिए जरूरी है कि लड़कों और लड़कियों को बराबरी से शिक्षित करना चाहिए। हर काम में पति–पत्नी को मिलकर परामर्ष करके निर्णय लेना चाहिए। जब हर महिला ऐसा मानने लगेगी कि दूसरों की बेटी अपनी बहू बनती हैं उसे अपनी बेटी मानेंगी तभी लड़की और लड़कों में बराबरी होंगी। महिला को लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना चाहिए। माता–पिता अपने लड़के–लड़की को नेक इंसान बनाएं जिससे वे देश के वफादार नागरिक बन सकें।

लड़की और लड़के को बराबरी का दर्जा दे

पूरी दुनिया में महिलाओं और लड़कियों पर हिंसा खत्म करने के लिए परिवार में ही लड़के–लड़कियों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। दोंनो के खान–पान, पढ़ाई–लिखाई, खेल–कूद, रहन–सहन सभी बराबरी का ध्यान देना चाहिए। अगर महिला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होती है तो वह सही ढंग से अपने परिवार का विकास कर सकती है।

लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।

लड़के और लड़कियों दोनों को सही ढंग से शिक्षित देना चाहिए।

लड़के और लड़कियों को बराबरी से सभी अधिकार देना चाहिए।

लड़के और लड़कियों का पालन–पोषण एक जैसा करना चाहिए।

लड़के और लड़कियों की शादी सही उम्र में करना चाहिए।

परिवार में लड़के और लड़कियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए।

परिवार में लड़के और लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर बराबर देना चाहिए।

परिवार में लड़के और लड़कियों को बचपन से ही अनुशासन का पालन करना सिखाना चाहिए।

लड़के और लड़कियों को बचपन से ही नैतिक शिक्षा देना चाहिए।

अपने परिवार, गाँव की पंचायत व समाज में बैठकर लड़के और लड़कियों के बराबरी की चर्चा करना चाहिए।

संस्थान के समाचार

संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर 6–8 मार्च 2009 को तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दिवस का विषय "महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने में महिला पुरूष एकजुटता" दिया गया। मुख्य अतिथि श्री एस. के. दास, महानिदेशक डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू (सेवानिवृत आई.पी.एस.) ने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। महिला पर होने वाली हिंसा समाज का कुष्ठ रोग है। पूरी दुनिया में हिंसा को मिटाने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं लेकिन जब तक महिलाएं और पुरूष मिलकर इसे नहीं रोकेंगे तब तक यह नहीं रूकेगी।

डॉ. प्रीती तनेजा, (प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज इंदौर) ने कहा कि प्रशिक्षण से हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है और हम स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरों का विकास कर सकेंगे। डॉ. जे. एस. टूटेजा ने कहा कि एक लड़की अगर सशक्त हो जाए तो वह पूरा देश सुधार सकती है। माता–पिता की यह जिम्मेवारी है कि वे किशोर लड़कियों को उनकी उम्र के अनुसार अपना बचाव करना सीखाएं। 'सेवा' संस्थान की समाज सेविका श्रीमती मनोरमा जोशी ने कहा महिला हिंसा को रोकने के लिए सबसे जरूरी शिक्षा और एकजुटता है। जब सभी महिलाएं मिलकर हिंसा के खिलाफ लड़ेंगी तभी उसे खत्म किया जा सकता है।

संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन ने परिचय देते हुए बताया कि यदि महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संस्थान महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से सशक्त करता हैं ताकि वे वापस जाकर अपना, अपने परिवार व गाँवों में पुरूषों और

महिलाओं को एकजुट कर 'हिंसामुक्त' समाज बना सकें। प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव सुनाएं। खरगोन की राधा

चौहान ने कहा "मैंने प्रशिक्षण में निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने का तरीका सीखा। अपना और अपने समुदाय के विकास में आध्यात्मिक गुणों के बारें में जाना।" आलीराजपुर जिले की रेखा गुजारिया ने बताया "मैं निरक्षर आई थी लेकिन अब मैं पढ़ना–लिखना, गिनती और साधारण गणित सीख गई हूँ।" खरगोन की जानू जाधव ने बताया "मुझे जो ज्ञान मिला उसे मैं दूसरों तक फैलाऊँगी जिससे मेरा अपना ज्ञान बढ़ेंगा।" आलीराजपुर की सीता चौहान ने कहा "मैंने संस्थान में सबके साथ मिलजुल कर और एकता से रहना सीखा।" बिहार की बीनू ने कहा "बचपन से ही लड़कियों और लड़कों के खानपान में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों से ज्यादातर घर के काम करवाते हैं और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है।" त्रिपुरा की श्रीमती मन्ना शर्मा ने कहा "मैं यहां के ज्ञान को अपने गाँव में जाकर समुदाय में दूसरों को सिखाऊँगी।" छत्तीसगढ़ की श्रीमती ममता रावल ने कहा "महिलाओं पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हिंसा होती है। जब महिला अपने ऊपर होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएगी तभी इसे खत्म किया जा सकता है।" कुमारी राजू और साथी बहनों ने भिलाली में गीत गाए।

महिला दिवस के अन्य कार्यक्रम

- 8 मार्च 2009 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक सामूहिक कार्यक्रम में बरली संस्थान के सभी प्रशिक्षणार्थियों और स्टाफ ने भाग लिया। महिला सशक्तिकरण महासंगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन ने मुख्य वक्ता के रूप में बरली संस्थान द्वारा आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुती दी। सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि कम उम्र में पति के मरने के बाद विधवा महिला अपने बच्चों की परवरिश कर उसे योग्य इंसान बनाती है। अतः महिलाएं सशक्त हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। वूमन भास्कर की वरिष्ठ संपादिका डॉ.(श्रीमती) वीणा नागपाल ने कहा जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में बराबर की सहभागी नहीं होंगी तब तक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पत्रकार ईरा झा ने कहा कि लड़कियाँ साहसी होती हैं और वे हर कार्य में सशक्त हैं। वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती ममता कालिया ने कहा कि परंपराएं ही महिलाओं के शोषण का कारण है क्योंकि ये परंपराएं धीरे–धीरे अंधविश्वास में बदल जाते हैं। आज तक की पत्रकार रितुल जोशी ने कहा कि महिला दुनिया की आधी आबादी की ताकत है उसका सम्मान होना चाहिए। बरली संस्थान की प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें जीवन में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है और इससे उन्हें महिला समानता, महिला स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में जानने का अवसर मिला।
- 2 मार्च 2009 को थेलेसमिया व बाल कल्याण समूह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जाल सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संस्थान की निदेशिका को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया जिसमें उन्होंने महिलाओं को होने वाली थेलेसिमिया की बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बात की। थेलेसिमिया की बीमारी कैसे होती हैं, थेलेसिमिया होने के कारण, पहचान, बचाव व इलाज समय पर करवाने से बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है।
- 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्हें "विश्व बन्धुत्व आन्दोलन" द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां पर उन्होने डॉ. जया पीटर को समाज सेवा के लिए सबसे अच्छे काम करने में योगदान देने के लिए सम्मानित किया।
- 9 मार्च को नई दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंदौर की ऐसी महिलाओं को 'नायिका' घोषित किया जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, विज्ञान, खेल संस्कृति आदि क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया हैं। 'नायिका' पुरस्कार समारोह में भी उन्होंने भाग लिया।
- 10 मार्च को नई दुनिया ने पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया। नई दुनिया द्वारा संचालित पत्रकारिता के सहभागी सभी पत्रकारों को महिला–पुरूष में भेदभाव कम करने के उद्देश्य से जनक पलटा मगिलिगन ने "महिला सशक्तिकरण में पत्रकारों के योगदान" विषय पर बरली संस्थान के माध्यम से आदिवासी व ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रमों पर एक प्रस्तुती दी जिसमें उन्होंने सशक्तिकरण का महत्व को बताते हुए कहा कि महिलाओं की शिक्षा, उनका आत्मविश्वास, जागरूकता, स्वास्थ्य, प्रेम, महिला–पुरूष में बराबरी की सोच, नेतृत्व, एकता, पैसा, महिला नीति और उनके लिए षिक्षा और प्रशिक्षण से ही सशक्तिकरण हो सकता है।

विस्तार केन्द्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

बरली विस्तार केन्द्र गढ़पिछवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नीता यादव ने कहा कि महिला कानून से जुड़ें सलाह या

जानकारी की जरूरत हो तो जिला न्यायालय से कानूनी सहायता ले सकते हैं। डॉ.(श्रीमती) खलको ने कहा कि बचपन से लड़कियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि बड़े होने पर वे कमजोर न रहे। महिला जो कि एक मां है उन्हें बेटे और बेटियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। श्री अनुपम जोफर ने कहा कि महिला ही परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। महिलाओं में सहनशीलता, संकल्प, त्याग, प्रेरणा आदि भावना होती है। वकील श्री कौमुद व्यास ने कहा संविधान द्वारा दिया गया कानून महिलाओं के लिए उतने हैं जितने पुरूष के लिए हैं। कु. लता यादव ने कार्यक्रम एवं केन्द्र का परिचय दिया। संचालन कु. सोनवती नेताम और आभार संताषी यादव ने किया।

स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण

संस्थान में 24 से 28 मार्च 2009 को स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ और इंदौर जिले की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों की 15 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया। इन सभी

महिलाओं ने संस्थान में पाँच दिनों तक रह कर सोलर कुकर को उपयोग करने का तरीका और उसके रख–रखाव के बारे में सीखा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य इन महिलाओं को सौर ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूक करना था ताकि वे सोलर चूल्हा का उपयोग कर घर में ही आसानी से मिठाईयां और नमकीन बनाकर बेच सकें पैसे कमा सकें। इस दौरान उन सभी ने ऐसे व्यंजन बनाने सीखे जिसे वे घर में आसानी से बना सकते हैं और उन्हें पैक करने के बाद ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं।

संस्थान में सेमिनार का आयोजन

20 मार्च 2009 को बरली संस्थान और अखिल भारतीय महिला सभा द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था– "इंदौर में राष्ट्रीय एकता व साम्प्रदायिक सद्भावना बढ़ाने में महिलाओं की अहम भूमिका।" अखिल भारतीय महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना जैन ने कहा कि महिलाएँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो देश का भला हो जाएगा। धर्म के नाम पर पुरूष लड़ते हैं लेकिन इसका असर महिलाओं पर होता है। हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आई शारदा मठ रामकृष्ण मिशन की सुश्री तथागत प्राणा ने कहा कि संस्कारवान महिला पूरे परिवार को संस्कार दे सकती है। एकता बनाए रखने के लिए महिला को अपनी शक्ति पहचानना जरूरी है। सिक्ख धर्म की खालसा वूमन वेलफेयर सोसायटी की

बलवंत कौर चड्ढा ने कहा कि कोई धर्म हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। महिलाएँ परिवार में ऐसा ही वातावरण बनाए, जो देश को तरक्की के राह पर ले जाए। क्रिश्चयन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती एनी पवार ने कहा ईश्वर और पड़ोसी से दिलोजान से प्यार करना चाहिए। मुस्लिम धर्म के प्रतिनिधि सादिया अफरोज ने गजल और कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेष दिया। श्रीमती जनक मगिलिगन ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि बहाई धर्म के अनुसार विष्व षाँति, एकता और सद्भावना लाने के लिए जरूरी है कि सभी यह माने कि ईष्वर एक है और उसके सभी अवतरों की षिक्षाएं सदा प्रेम सिखाती है। भारत में महिलाएं सद्भावना और प्रेम बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। पुरूषों और महिलाओं को षिक्षित करना चाहिए। विख्यात लेखक श्री संजय पटेल व श्री मुकुन्द कुलकर्णी ने भी अपने विचार रखें।

निदेशिका और प्रबंधक संगोष्ठी में

14 मार्च 2009 को देवास के एस. कुमार मिल में प्रेसिटेक्स स्पीनर्स क्लब, टेक्सटाइल एसोसिएशन मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में संस्थान के प्रबंधक एवं निदेशिका को आमंत्रित किया गया। वहां पर उन्होंने संस्थान का परिचय एवं प्रशिक्षण की जानकारी दी। साथ ही सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में भी बताया कि किस तरह से सोलर तकनीक से खाना बनाना, पानी गरम करना, सब्जियां सुखाना और कपड़ों को प्रेस करने में किया जाता है।

संस्थान की प्रषिक्षिका सेमिनार में

26 मार्च 2009 को स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इंदौर द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसका विषय था। "बड़े–बूढ़ों को स्वास्थ्य तथा समाज द्वारा उनको अनदेखा करना।" इस सेमिनार में संस्थान की प्रशिक्षिका सुश्री अमृता पाठक ने भाग लिया। अमृता ने कहा कि हमारे देश में बूढ़ो की हालत बहुत ही खराब है। जो माता–पिता अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करते हैं वही बच्चे अपने माता–पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। हमें माता–पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए और बूढ़ापे में उनकी मदद करना चाहिए।

संस्थान की निदेशिका मुख्य अतिथि

31 मार्च 2009 को भारत सरकार के खादी बोर्ड द्वारा नर्स की, फैशन डिजानिंग, आरकिटेक्ट आदि व्यावसायिक शिक्षा दी जाती हैं। "राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर आधारित गाँव का विकास कैसे किया जाए।" इस कार्यक्रम में संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन को मुख्य अतिथि के रूप में बरली संस्थान पर चित्र दिखाकर प्रस्तुती दी। उन्होंने कहा कि गाँव में सोलर ऊर्जा का उपयोग जैंसे फलों, सब्जियों जड़ी–बूटी, धान, मेवे तथा दाने आदि को भूनने और सुखाने के लिए किया जा सकता है जिससे उनकी आमदनी होंगी।

संस्थान को पर्यावरण मित्र पुरस्कार

पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान एवं विकास केन्द्र इंदौर द्वारा पर्यावरणशास्त्री स्व. सुधीर मिश्रा की याद में 'पर्यावरण मित्र पुरस्कार 2008' बरली संस्थान को पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने के लिए दिया गया। यह पुरस्कार गाँधीजी की पौत्री सुश्री तारा भट्टाचार्य द्वारा दिया गया। बरली संस्थान

की ओर से निदेशिका डॉ.(श्रीमती) जनक मगिलिगन और प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन ने पुरस्कार लिया। संस्थान को सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सुश्री तारा भट्टाचार्य ने कहा कि विकास के नाम पर सारी हरियाली खत्म होती जा रही है। हम प्रकृति को तभी बचा सकेंगे जब मन में प्रकृति के प्रति दया का भाव होगा। श्री जिम्मी मगिलिगन ने चित्रों के माध्यम से संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रस्तुती दी।

संस्थान में आए मेहमान

अमेरिका की एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सुश्री रूही जेन्द्रा संस्थान की गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विडियो फिल्म बनाई। संस्थान में रहना उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि बरली संस्थान हमेशा ही उनके हृदय में रहेगा और भविष्य में वे अपने परिवार के साथ यहां पर आने की आशा करती हैं।

18 मार्च 2009 को महाराष्ट्र के अनाम प्रेम संस्था से एक समूह संस्थान देखने आया। अरविन्द एन. बागेवेदी ने कहा "संस्थान में सभी काम बहुत ही अच्छे ढ़ंग से हो रहें है। मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीखना चाहता हूँ।" विवेक वी. देसाई ने कहा "संस्थान बहुत ही अच्छी जगह हैं, मैंने यहां से बहुत कुछ सीखा है।" आशुतोष वी. ठाकुर ने कहा "मैंने यहां पर बहुत कुछ सीखा है जिसे मैं अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ।" प्रशांत एन. भट्ट ने कहा "संस्थान स्वर्ग की तरह है।"

29 मार्च 2009 को मध्यप्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन के फेक्ट्री के मालिक और अधिकारी संस्थान देखने आए। बरली संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन ने कम्प्यूटर से फोटो दिखा कर दी। संस्थान में सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, पानी गरम करने, कपड़ों को प्रेस करने और सब्जियों को सुखाने में किया जाता है। रद्दी पेपर से धुआंरहित कंडे बनाए जाते हैं और रसोई घर, शौचालय, बर्तन साफ करने और खाना पकाने के बाद पानी को यूं ही नहीं बहने दिया जाता है। संस्थान में अलग–अलग तरह से सौर ऊर्जा के उपयोग और प्रस्तुती को देखकर उन्होंने कहा कि वह अपनी–अपनी फेक्ट्री में सोलर ऊर्जा को उपयोग करेंगे।

सोलर चाय दुकानें

भगोरिया के त्यौहार के समय 5 मार्च 2009 को धार जिले के ग्राम सेमिलापुरा और बाबली में मध्यप्रदेष आजिवीका योजना के सहयोग से दो सोलर चाय की दुकानें खोली गईं। दोनों चाय की

दुकानें महिलाएं अपने पति के सहयोग से चला रहीं हैं। वे हर रोज 70 से 80 रूपए कमा लेतीं हैं। बरली संस्थान ने पहले उन्हें सोलर चूल्हा का उपयोग करना सिखाया और फिर केवल 2000 रूपये में कुकर दिए । सोलर चूल्हे का उपयोग करने से उन्हें लकड़ी, घासलेट और पैसों की बचत होंगी।

संस्थान में माता–पिता की बैठक

22 व 23 मार्च 2009 को बरली संस्थान में प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के माता–पिता के लिए दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर और धार जिले के 41 गांवो से 107 रिश्तेदारों ने भाग लिया। माता–पिता ने प्रशिक्षण में सभी विषयों को पढ़ाते जैसे मेरा अपना और मेरे समुदाय का विकास, साक्षरता, स्वास्थ्य और कटाई–सिलाई को देखा। प्रशिक्षणाथियों ने अपने हाथ से सिले कपड़े, लिखी कापियां, फाईले और ड्राफ्ट अपने माता–पिता को

दिखाए। संस्थान के प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन ने कम्प्यूटर से फोटो दिखा कर प्रशिक्षण की जानकारी दी। निदेशिका ने सोलर कुकर के बारे में जानकारी दी। श्री सखाराम और

श्रीमती सागरी डावर ने बताया कि संस्थान में हर रोज 100 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। श्री राजेन्द्र एवं श्रीमती नंदा चौहान ने गाँव में सोलर कुकर लगाने के अपने अनुभव सुनाएं। सभी प्रशिक्षणार्थियों के माता–पिता अपनी बेटियों के उत्साह, लगन और बदलाव को देखकर काफी खुश हुए और अपने अनुभव सुनाए जो इसप्रकार हैं: "मेरी बेटी ने सिलाई के साथ–साथ साफ–सफाई से रहना भी सीखा है।" "मेरी बेटी ने वैसे तो 8वीं तक की पढ़ाई की है पर जितना उसने 8 साल में नहीं सीखा उतना तीन महीने में सीख लिया।" "मेरी बेटी पढ़ना–लिखना, गिनती, हिसाब–किताब करना और नाम लिखना सीख गई है।" "मेरी बेटी 5वीं पास है। मैंने उसे यहाँ पर सिलाई सीखने भेजा और वह अच्छे से सीख रही है।"

विस्तार केन्द्र में माता–पिता की बैठक

24 मार्च 2009 को विस्तार केन्द्र ग्राम मूरडोंगरी में माता–पिता व परिवारजनों की बैठक हुई। मुरडोगरी के सरपंच श्री कृष्णा कुमार मण्डावी ने कहा विस्तार केन्द्र द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह महिलाओं और गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। जनपद सदस्य श्रीमती सरिता मण्डावी ने कहा कि "आज महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है, महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे प्रशिक्षण का सही उपयोग कर स्वयं आत्मनिर्भर बनें।" श्री मोतीराम यादव ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए यह खुशी की बात है कि महिलाएं स्वतंत्र, आत्मनिर्भर तथा निडर होकर हर क्षेत्र में पुरूषों से कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहीं है। कुमारी लता यादव ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर होता है जब माता–पिता हमारे बीच आकर हमारे कामों को देखते हैं। कुछ प्रशिक्षणार्थियों के माता–पिता ने भी अपने विचार रखें, जो इसप्रकार हैं। "इस बैठक में आने से यह पता चला कि सिलाई के साथ स्वास्थ्य की जानकारी भी दी

जाती है। यह स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है।" "मैंने यहां आकर देखा तो पता चला कि यहाँ सिलाई के साथ–साथ स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तित्व विकास की शिक्षा भी दी जाती है जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।"

इस पत्रिका के प्रकाषन में सहयोगी
श्रीमती ढेडी बागदरे व श्री जिम्मी मगिलिगन

प्रिंटेड मैटर–बुक पोस्ट

पता

____

____

____

____

हमें पत्र लिखे

"बरली की दुनिया" के पाठको से विनम्र निवेदन है कि आप हमें नीचे लिखे पते पर पत्र लिखें कि आपको नियमित "बरली की दुनिया" मिल रही है या नहीं।

संपादक "बरली की दुनिया"

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान

180, भमोरी न्यू देवास रोड़ इंदौर 452010 (म.प्र.)

रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की ओर से बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, 180 भमोरी, न्यू देवास रोड़, इन्दौर – 452010 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
मुद्रण स्थल : राजा ऑफसेट, 863/9,नेहरूनगर, इन्दौर द्वारा मुद्रित **संपादक : डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन**